अपील सूचना अधिकार संख्या 102/2016 अनवानी श्री सोहनगर पुत्र रूंगघर जाति गुंसाई राजपुरिया रोड, गोतम जनरल स्टोर, तह0 लूनकरनसर जिला बीकानेर बनाम भू अभिलेख शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

06-03-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सोहनगर व उनके अभिभाषक श्री सुरजाराम को आवा लगवाई गई, किन्तु वे उपस्थित नही आये। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.04.16 के द्वारा भू अभिलेख शाखा जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:-

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1- घड़साना तहसीलदार (वर्तमान) वेदप्रकाश पुत्र हरदयाल किस कोटे से एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी की सूचना।
2- उक्त कोटे से लगा हुआ है तो वास्ते सबूत जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित नकल।
3- जाति प्रमाण पत्र में जाति क्या है की सूचना।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 6873 दिनांक 17.06.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मेंउनके कार्यालय के पत्र सं0 6133 दिनांक 23.05.16 के द्वारा निम्न प्रकार से सूचित किया है:-

क्र0 सं0	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जबाब
1	घड़साना तहसीलदार श्री वेदप्रकाश पुत्र हरदयाल किस कोटे से एस.सी./एएस.टी./ओ.बी.सी की सूचना	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत सूचना देय नही है।
2.	उक्त कोटे से लगा है, तो वास्ते सबूत जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित नकल	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत सूचना देय नही है।
3.	जाति प्रमाण पत्र में जाति क्या है की सूचना	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत सूचना देय नही है।

उक्त के अलावा लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 17.06.16 में माननीय सूचना आयोग राज0 जयपुर के अपील सं0 2653/2012 उमेश शर्मा बनाम उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा चूरू के निर्णय दिनांक 02.08.2013 को अंकित करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं निजि सूचना से है और इनमें कोई सार्वजनिक हित नही है। इसलिए उक्त निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में ऐसी सूचनाओ को उपलब्ध करवाने से वर्जित माना गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

माननीय सूचना आयोग ने अपील सं0 2653/2012 उमेश शर्मा बनाम उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा चूरू में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2013 में श्रीकांत पाण्डया बनाम मध्य प्रदेश सरकार (एआईआर 2011 एमपी 14) के अनुसार सेवा पुस्तिका एवं व्यक्ति अभिलेख तृतीय पक्ष की सूचना होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) से वर्जित माना है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी के द्वारा अपने प्रा0 पत्र दिनांक 29.04.16 में चाही गई सूचनाएं तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचनाएं है और इसमें ऐसा कोई भी व्यापक लोक हित होना भी नही बताया गया है। ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उतर दिनांक 23.05.2016 माननीय सूचना आयोग राज0 जयपुर के उक्त निर्णय के परिपेक्ष में सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर